

परिशिष्ट 2
[2447-31]

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 1927 माननीय श्री कामाख्या प्रताप सिंह

परिशिष्ट -

खनिज विभाग में पदस्थ अधिकारी / कर्मचारियों की जानकारी

क्र	अधिकाारी / कर्मचारी का नाम	पद नाम
0		
1	श्री अमित मिश्रा	उपसंचालक (ख.प्र.)
2	श्री रमाकांत तिवारी	सहायक खनि अधिकारी
3	श्री अशोक कुमार द्विवेदी	खनि निरीक्षक
4	श्री वृज किशोर पाठक	राजस्व निरीक्षक
5	श्री अवध किशोर रावत	सहायक ग्रेड-3
6	श्री राघव खटीक	सहायक ग्रेड-3
7	श्री राजीव कुमार प्रजापति	सहायक ग्रेड-3
8	श्री मथुरा प्रसाद रैकवार	मुख्य कम प्रोसेस सर्वर
9	श्रीमति पूजा रैकवार	सिपाही

(प्रकाश पन्ने)

अवर सचिव

न.प्र. शासन, खनिज सावन विभाग

उपसंचालक (ख.प्र.)
जिला छतरपुर (म0प्र0)

20/03/24

परिशिष्ट 2
[अध्या-ब]

विधानसभा अतारंकित प्रश्न क्रमांक 1927 माननीय श्री कामाख्या प्रताप सिंह


परिशिष्ट -

03 वर्ष से अधिक पदस्थ अधिकारी / कर्मचारियों की जानकारी

क्र 0	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	पद नाम	पदस्थ दिनांक
1	श्री अभित मिश्रा	उपसंचालक (ख.प्र.)	12/06/2019
2	श्री रमाकांत तिवारी	सहायक खनि अधिकारी	30/12/2019
3	श्री अवध किशोर रावत	साहा 0 ग्रेड-3	19/10/2015
4	श्री राघव खट्टक	साहा 0 ग्रेड-3	05/03/2018
5	श्री भशुरा प्रसाद रैकवार	भूख कम प्रोसेस सर्वर	22/01/2007
6	श्रीमति पूजा रैकवार	सिपाही	19/07/2017


(प्रकाश पन्डे)
अवर सचिव

म.प्र. शासन, खनिज साधन विभाग


उपसंचालक (ख.प्र.)
जिला छतरपुर (मोप्रो)

परिशिष्ट 2
" "

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 1927
द्वारा मान० विधायक श्री कामाख्या प्रताप सिंह

(ग) - जिले में रिक्त पद की जानकारी -

पदनाम	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद
उप संचालक (खनिज प्रशासन)	1	1	0
सहायक खनि अधिकारी	2	1	1
खनि निरीक्षक	6	1	5
मानचित्रकार	1	0	1
सहायक मानचित्रकार	1	0	1
सर्वेयर	1	0	1
सहायक ग्रेड-1	1	0	1
सहायक ग्रेड-2	1	0	1
सहायक ग्रेड-3	2	2	0
सिपाही	1	1	0
मृत्यु/मृत्यु कम प्रोसेस सर्वर	1	1	0
योग :-	18	7	11

विभाग द्वारा सीधी भरती के रिक्त पदों को भरे जाने के संबंध में कार्यवाही प्रचलन में है। भरती एक सतत् प्रक्रिया है, समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त वर्तमान में पदोन्नति के रिक्त पदों के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग से कोई निर्देश प्राप्त न होने से पदोन्नति के रिक्त पदों को भरा जाना संभव नहीं है।


(प्रकाश पन्ने)
अवर सचिव

न.प्र. शासन, खनिज साधन विभाग